Washim District Police

Nature of Work :- **Arresting Gangsters and Recovery of Stolen Property**

Police Station :- **Malegaon**

Date of Good Work done :- **20/01/2022**

Brief of the work done :-

कापूस खरेदीत फिरत्या व्यापाऱ्यांकडून ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची रिमोट कंट्रोलद्वारे वजन फेरबदल करत फसवणूक झाल्याने 07 आरोपीची टोळी @MalegaonPs यांनी अटक केली आहे. अशा प्रकारे फसवणूक झाली असल्यास समोर येऊन तक्रार देणे बाबत आवाहन करण्यात येत आहे.

हेरा-फेरी ▪ बार्शिटाकली के 7 कपास व्यापारी गिरफ्तार, मिली तीन दिन की पुलिस हिरासत, पुलिस जुटी जांच

किसानों के साथ धोखाधड़ी करनेवाली टोली का पर्दाफाश !

जिला प्रतिनिधि | वाशिम

इलेक्ट्रानिक वजन काटे पर रिमोट की सहायता से कपास का वजन कम दिखाकर किसानों के साथ धोखाधड़ी करनेवाली टोली का मालेगांव पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 7 कपास व्यापारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी व्यापारी अकोला जिले के बार्शिटाकली निवासी है और इन सभी आरोपियों को न्यायालय ने 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उपरोक्त जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह ने गुरुवार को अपने कार्यालय में आयोजित पत्रकार परिषद में दी। इस अवसर पर पुलिस कप्तान सिंह के साथही अपर पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे, स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक सोमनाथ जाधव तथा मालेगांव के थानेदार किरण वानखेडे भी उपस्थित थे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए पुलिस कप्तान बच्चन सिंह ने बताया कि 19 जनवरी को मालेगांव तहसील के ग्राम मेडशी में प्रवीण देविदास सोलनोर नामक किसान से कपास खरीद ने के लिए कुछ व्यापारी आए। इलेक्ट्रानिक वजन काटे पर कपास की तुलाई शुरु रहते कपास व्यापारी बार-बार किसान प्रविण सोलनोर से घर में से पीने के लिए पानी लाने को कहते रहे। यह बात प्रवीण सोलनोर के ध्यान में आने के साथही व्यापारियों में से एक व्यक्ति की गतिविधि संदेहास्पद नजर आई।

जब उस व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उसकी जेब से एक रिमोट मिला। तब किसान को यह आभास हुआ की उसके साथ धोखाधड़ी की जा रही है। किसान प्रवीण ने तत्काल इसकी शिकायत मालेगांव पुलिस में दर्ज कराई। सिंह ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद मालेगांव पुलिस बिनादेरी किए तत्काल हरकत में आई और तत्काल मौके पर पहुंचकर आरोपी कपास व्यापारी मोहम्मद मोसिन मोहम्मद हुसेन, शेख अनिस शेख युसुफ, शकिल उर्फ छोटू हुसेन शहा, मकसुद खान महमुद खान, शहबाज खान ईजाज खान, शहजाद खान महमुद खान, आशिक खान जफोरउल्ला खान सभी निवासी बार्शिटाकली जिला अकोला को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ भादंवि की धारा 420, 34 के तहत अपराध दर्ज किया। गिरफ्तार सभी आरोपियों को गुरुवार 20 जनवरी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां

वि. न्यायालय ने सभी सातों आरोपियों को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने के आदेश दिए। इस टोली द्वारा जिले में और कितने किसानों के साथ धोखाधड़ी की है, इसकी जांच भी मालेगांव पुलिस कर रही है।

50 से 60 प्रतिशत तक कम तौलते थे : चर्चा के दौरान ही पुलिस कप्तान बच्चन सिंह ने बताया कि पकड़े गए शातिर कपास व्यापारी किसानों का कृषिमाल खरीद ते समय उनका ध्यान दूसरी ओर भटकाकर इलेक्ट्रानिक काटे का वजन रिमोट के माध्यम से नियंत्रित कर 50 से 60 प्रतिशत तक कम कर देते थे। उन्होंने यह भी बताया की फरियादी किसान प्रविण सोलनोर ने इन व्यापारियों को 4 क्विंटल 23 किलो कपास बेची थी जिसे इन शातिर बदमाशों ने रिमोट के माध्यम से 2 क्विंटल से भी कम कर दिया था। समय रहते किसान को यह बात ध्यान में आई और उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। जिसके कारण शातिर कपास व्यापारी पुलिस की गिरफ्त में आ सके। पुलिस अधीक्षक ने जिलेभर के किसानों से अपील की है की वे अपना कृषिमाल बेचते समय सतर्कता बरते और तौलकाटे को लेकर किसी भी प्रकार का संदेह हो तो इसकी जानकारी तत्काल पुलिस को दे। उन्होंने बताया की उनके साथही अप्पर पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे, उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुनीलकुमार पुजारी के नेतृत्व तथा मालेगांव के थानेदार किरण वानखडे के मार्गदर्शन में की जिसमें मालेगांव पुलिस की सहायक पुलिस निरीक्षक पुष्पलता वाघ, हेकां गजानन पांचाल, पुकां आशिष बिडवे, पुकां शैलेन्द्र ठाकुर, पुकां विजेन्द्र इंगोले व पुकां अमोल पाटिल का समावेश था।